

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री शशि प्रसाद गुप्ता पिता- स्व. कैलाश प्रसाद (पत्नी- ममता कुमारी) ग्राम: सौंदा बस्ती, थाना: पतरातू जिला : रामगढ़ (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: चमातू , थाना: बालुमथ जिला: लातेहार (झारखण्ड) एवं ग्राम: देवलगढा, थाना: टंडवा जिला : चतरा(झारखण्ड), थाना सं. 56 एवं 28 (रैयती भूमि) खाता सं. 4/2, 36 एवं 35, के अधीन प्लॉट सं. 44, 1875, 1598 एवं 1593. कुल रकबा - 02.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है ।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के रप्रकाशन/ वेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा ग्राम: देवलगढा, थाना: टंडवा जिला : चतरा(झारखण्ड), ग्राम: चमातू, थाना: बालुमथ जिला: लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: देवलगढा, थाना: टंडवा जिला : चतरा(झारखण्ड), ग्राम: चमातू , थाना: बालुमथ जिला : लातेहार (झारखण्ड) थाना सं: 28 & 56 (रैयती भूमि) खाता सं. 4/2, 36 एवं 35 के अधीन प्लॉट सं. 44, 1875, 1598 एवं 1593. कुल रकबा - 02.00 एकड़ भूमि के तहत श्री शशि प्रसाद गुप्ता पिता- स्व. कैलाश प्रसाद (पत्नी - ममता कुमारी) ग्राम: देवलगढा, थाना: टंडवा जिला : चतरा(झारखण्ड) एवं ग्राम: चमातू , थाना: बालुमथ जिला : लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: देवलगढा, थाना: टंडवा जिला : चतरा(झारखण्ड) एवं ग्राम: चमातू , थाना: बालुमथ जिला: लातेहार (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है ।

विशेष कुमार
१६/०४/२०२२

दिनांक